राजस्थान सरकार
**आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर**
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdbed.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांकः एफ 24(NOC21-22)/बी.एड./आकाशि/2021/490 दिनांक :– 10/08/2021

# आदेश

कोविड़–19 महामारी की विषम परिस्थितियों के मद्देनजर माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 05.08.21 की अनुपालना में विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की दिनांक में अभिवृद्धि करते हुए अंतिम दिनांक 31.08.2021 निर्धारित की गई है।

अतः समस्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं, जिन्होंने सत्र 2021–22 हेतु दिनांक 10.03.2021 तक विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर में आवेदन किया था किन्तु दिनांक 25.03.2021 तक दस्तावेजों में रही कमीपूर्ति प्रस्तुत नहीं करने के कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं हो सका था उन्हें माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जयपुर के उक्त आदेश की अनुपालना में कमीपूर्ति दस्तावेज दिनांक 24.08.2021 तक आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाता है। दिनांक 24.08.2021 के पश्चात कमीपूर्ति दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जायेगा जिसकी जिम्मेदारी संस्था की स्वयं की होगी।

10/08

**(संदेश नायक)**
**आयुक्त**
**कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।**

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, (गुप–4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. क्षेत्रीय निदेशक, पश्चिम क्षेत्रीय समिति, एन.सी.टी.ई., जी–7, सेक्टर–10 द्वारका, नई दिल्ली–110075
4. समन्वयक पीटीईटी 2021, राजकीय डूँगर महाविद्यालय, बीकानेर।
5. सत्र 2021–22 हेतु दिनांक 10.03.2021 तक विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों हेतु आवेदन करने वाली शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं।
6. प्रभारी वेबसाईट, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित है कि विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
7. रक्षित पत्रावली।

**संयुक्त निदेशक (निजी संस्था),**
**कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।**